न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 28/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी थांवला तहसील रियांबडी।		सरकार जरिये उप तहसीलदार, भैरून्दा तहसील रियांबडी जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्द कडवा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:20.12.2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2016 सरकार बनाम सुरेन्द्र कुमार में निर्णय दिनांक 20.01.2016 के तहत मौजा थांवला के खसरा नं. 1772 रकबा 1.5 बीघा गै.मु. बारानी–2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.03.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 04.04.2016 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 20.01.2016 को पेशी के दिन अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तब रीडर द्वारा यह बताया गया कि आपके खेत का नाप चोप करवायेगे एवं आपको सूचना दे देगें। तत्पश्चात् अपीलांट के साले का देहांत इंदौर में हो जाने से अपीलांट को पत्नी सहित इंदौर जाना पडा, जहां से करीब एक माह बाद अपीलांट वापस आया। तब अपीलांट उप तहसील गया व पत्रावली के संबंध में रीडर से पता किया तब उन्होने बताया कि तहसीलदार ने उसी दिन आपके विरूद्व सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया। तब अपीलांट ने जानकारी लेकर उप तहसील, भैरून्दा से दिनांक 9.3.16 को नकल प्राप्त की। तब प्रथम बार अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–पटवारी थांवला ने जिस खसरा नं. 1772 की 1.5 बीघा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया है उसका कोई ठोस आधार व दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया। न ही अधीनस्थ न्यायालय ने टी.पी. रिपोर्ट के समर्थन में हल्का पटवारी के अथवा किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान लिये इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध व विधि विरूद्व ढंग से अपीलांट के विरूद्व सिविल कारावास के दण्डित किये जाने का जो आदेश पारित किया। वह निरस्तनीय है।

{2}(IV)–वादग्रस्त खेत खसरा नं. 1772 रकबा 1.5 बीघा पर अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कब्जा अथवा अतिक्रमण अथवा बाड इत्यादि नही की गई है। न ही अपीलांट का पूर्व में कब्जा था न ही वर्तमान में है। किन्तु हल्का पटवारी ने बिना किसी ठोस आधार के बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलांट के विरूद्व टी.पी. रिपोर्ट पेश कर दी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना किसी प्रकार की जांच किये, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का जो आदेश जैर अपील पारित किया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने प्रथम पेशी पर जो आवेदन पेश किया। उसमें स्पष्ट रूप से कथन अंकित किया कि खसरा नं. 1772 पर उसका कोई अतिक्रमण नही है। बल्कि वह अपनी

अपर कलक्टर, नागौर

खातेदारी की जमीन पर काबिज है एवं अपनी खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान हेतु आवेदन भी उपखण्ड अधिकारी रियांबडी के समक्ष पेश किया हुआ है। इस प्रकार जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय हो पूर्ण जांच करके उसके पश्चात आदेश जैर अपील पारित करना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलांट के विरूद्व सिविल कारावास की सजा पारित किये जाने का आदेश जैर अपील पारित कर जो पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)–खसरा नं. 1772 के चिपते ही दक्षिणी तरफ अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1748 स्थित है। जब तक उक्त खेत का सीमाज्ञान व नाप नही हो जाता, तब तक अपीलांट को किसी प्रकार से अतिक्रमी घोषित नही किया जा सकता था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सीमाज्ञान व नापचोप किये प्रथम पेशी पर ही अपीलांट के विरूद्व सिविल कारावास से दण्डित कर दिया। जबकि सिविल कारावास का आदेश पारित करने से पूर्व पूर्णरूप से जांच करनी चाहिये थी। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच पडताल किये आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील में अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण स्वीकार करना व अतिक्रमण हटाने से इंकार करने का उल्लेख किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम बार अपीलांट जब दिनांक 20.01.2016 को उपस्थित हुआ एवं उसने आवेदन पेश किया उस आवेदन में कही भी खसरा नं. 1772 पर अतिक्रमण स्वीकार करना अथवा नही हटाये जाने बाबत कोई उल्लेख नही है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को केवल मात्र सिविल कारावास भुगताने के दुराशय से ही कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर एवं अपने पद का दुरूपयोग करते हुवे आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम थांवला में स्थित राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया तथा विधिवत सुनवाई के पश्चात् ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबडी द्वारा प्रकरण सं. 05/2016 सुरेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार में अपीलांट के खातेदारी खसरा नं. 1748 जो कि आराजी के चिपता ही है, की पेमाईश कर पत्थरगढी व सीमाज्ञान के आदेश दिनांक 29.02.2016 को पारित किये गये है। उक्त आदेश की पालना में मौके पर सीमाज्ञान / पत्थरगढी करवाये बिना आराजी भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण है या नही? यह तय नही हो सकता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्ण होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पहले न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबडी द्वारा निर्णय दिनांक 20.01.2016 में पारित आदेश के तहत खातेदारी भूमि की पेमाईश कर पत्थरगढी / सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्ण करे तथा यदि पेमाईश में अतिक्रमण पाया जाता है तो ही अतिक्रमण से संबंधित कार्यवाही की जा सकती है। अपीलांट को नोटिस देकर पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए उपरोक्त ऑबजरवेशन को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश एक माह में पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12/16

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर,नागौर